

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री उदयराम पिता डालचन्द कुम्हार निवासी नई बस्ती, भील बस्ती मौहल्ला, सेमलपुरा
बनाम

राजस्थान सरकार

G.C.M.S. no. - 2021/143

प्र.सं. 89/2021 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ 06 UA 4655 मारुति वेन को, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन यह रहा कि वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ 06 UA 4655 मारुति वेन प्रार्थी श्री उदयराम पिता डालचन्द कुम्हार निवासी नई बस्ती, भील बस्ती मौहल्ला, सेमलपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम है साथ ही थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन RJ 06 UA 4655 मारुति वेन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। रिबटल में अभियोजन अधिकारी ने उक्त वाहन, वाहन स्वामी को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ 06 UA 4655 मारुति वेन का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ 06 UA 4655 मारुति वेन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ 06 UA 4655 मारुति वेन को 3,00,000/- अक्षरे तीन लाख रुपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p>	



(तारा चन्द मीणा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़